Conduct Of Elections Rules, 1961

(Statutory Rules and Order)

FORM 21 C

(See rule 64)

(For use in General Election when seat is contested)

Declaration of the result of Election under section 66 of the Representation of the People Act, 1951

Election to the Legislative Assembly of Rajasthan from the 140-Chohtan (SC) Assembly Constituency.

In pursuance of the provisions contained in section 66 of the Representation of the People Act, 1951 read with rule 64 of the conduct of Elections rules, 1961.

I declare that -

SHRI PADMA RAM

OF VP-FAGLIYA TEHSIL SEDWA DIST BARMER (RAJASTHAN) Sponsored by INDIAN NATIONAL CONGRESS has been duly elected to fill the seat in that House from the above constituency.

Place :- Barmer

Date :- 11.12.2018

(BHUPENDRA KUMAR YADAV)

Returning Officer

140-Chohtan (SC) Assembly Constituency (Sub Divisional Officer & Sub Divisional Magistrate), Chohtan

(भूपेन्द्र कुमार यादव) रिटर्निंग ऑफिसर

140 चौहटन(अ.जा.)विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र (उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट)चौहटन

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961

(कानूनी नियम और आदेश)

प्ररूप 21ग

(नियम 64 देखिए)

(साधारण निर्वाचन में उपयोग के लिए, जब स्थान सविरोध हो)

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 के अधीन निर्वाचन के परिणाम की घोषणा।

140—चौहटन (अ.जा.) विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से राजस्थान की विधानसभा के लिए निर्वाचन।

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अन्तर्विष्ट उपबंधों के अनुसरण में, मैं घोषणा करता हूं कि -

श्री पदमाराम ग्राम व पोस्ट फागलिया तहसील सेड़वा जिला बाड़मेर (राज) जो इंडियन नेशनल काँग्रेस द्वारा खड़े किए गए।

उपर्युक्त निर्वाचन-क्षेत्र से उस सदन में स्थान भरने के लिए सम्यक रूप से निर्वाचित हो गए हैं।

स्थान : बाडमेर

दिनांक: 11.12.2018

रिटर्निग ऑफिसर 140-चौहटन (अ.जा.)विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र

(उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट),चौहटन

(भूपेन्द्र कुमार यादव) रिटर्निंग ऑफिसर 140 चौहटन(अ.जा.)विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र (उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्टेट)चौहटन